सत्र प्रकरण क्रमांक 252/2018
(बचाव साक्षी क्र–3)

II-157
C.J.

Witness no. ....**03**.............for ....**बचाव साक्षी**..........Deposition taken

the........day of..........**18.03.2021**..........Witness's apparent age.............**50 वर्ष**.........

States on affirmation...**शपथपूर्वक**.My name is..**संतोष सिंह**...........................

Son of **स्व. जय सिंह**....occupation.................**प्रधान आरक्षक(साइबर सेल)**

addres........**सिविल लाइन, रायपुर (छ.ग.)**

1– मैं पिछले 6 माह से साइबर सेल, रायपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं। दिनांक 26.09.2018 को मैं क्राइम ब्रांच, रायपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। मैं अतुल तलमले को जानता हूं। वह जोरापारा में रहता है। (प्रकरण में प्रस्तुत सी.डी. प्रदर्श डी0–8 खुले न्यायालय में चलाकर दिखाई गई)।

2– उक्त सी.डी. में मैं, ए.एस.आई. गेंदू नौरंग, विजय पटेल आरक्षक तथा अतुल तलमले दिखाई दे रहे हैं। मैं उक्त सी.डी. में दर्शित मोटरसायकल में अतुल तलमले के पीछे बैठा हूं। बीच में अतुल तलमले है और सामने आरक्षक विजय पटेल मोटरसायकल चला रहा था। एस.एस.आई. गेंदू नौरंग अपनी एक्टिवा में साथ में है।

3– प्रकरण से सम्बन्धित घटना उसी रात की गणेश झांकी के दौरान की थी। किसी को चाकू मारा गया था जिसकी पतासाजी में अतुल तलमले वगैरह के शामिल होने की जानकारी मिली थी। अतुल तलमले को हमारी पुलिस पार्टी ने पकड़ा था। आज मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं सी.डी. में दिखाई दे रहे स्थल पर अतुल तलमले को कहां से लेकर गया था। उसे कुछ साक्ष्य एकत्रित करने के लिये लेकर गये थे।

4– अतुल तलमले अपने पहने हुए कपड़े जिनमें खून लगा हुआ था, थैले में लेकर आया था। सी.डी. में मैं ज़रा देर के लिये अतुल तलमले के घर के अंदर गया था, बाकी समय बाहर ही खड़ा था। अतुल तलमले ने बताया था कि थैले में कपड़े हैं। वह थैला ए.एस.आई.

Witness no. ....**03**..............for ....**बचाव साक्षी**...........Deposition taken

नौरंग ने लेकर अपने पास रखा था। मुझे याद नहीं है कि उक्त थैला एवं अतुल तलमले को हमने कोतवाली थाने में दिया था या क्राइम ब्रांच में। सी.डी. में दर्शित समय सुबह 5.45 से 5.48 तक का दिखाई देता है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री के. के. शुक्ला, लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

5– घटना के समय गणेश विसर्जन झांकी में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। ए.एस.आई. नौरंग की भी वहीं पर ड्यूटी लगी हुई थी। घटना के समय कोतवाली थाने के पास था जब चाकूबाजी की सूचना मिली तब पतासाजी शुरू कर दिये थे। मुखबीर को लगाये थे तो सुबह–सुबह के आसपास अतुल तलमले और कुछ लड़कों द्वारा चाकूबाजी करने का पता चला।

6– यह कहना सही है कि घटना की सुबह अतुल तलमले एवं उसके सहयोगियों को पूछताछ के लिये कोतवाली थाने लाया गया था। स्वतः कहा कि शांति भंग की आशंका थी। मैं उच्च अधिकारियों के कहने पर अतुल तलमले के घर गया था। अतुल तलमले ने मेरे समक्ष बताया था कि उसने खून रंगे कपड़े घर में रखे हैं इसलिए लेने गये थे। मुझे जानकारी नहीं है कि विवेचक ने तत्समय अतुल तलमले वगैरह को गिरफ्तार किया था या नहीं।

समाप्ति समय– 2.35 बजे।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(ममता पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

(ममता पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर ....